

न्यायालय उप जिलाधिकारी फरीदपुर जिला बरेली ।

पात्र संख्या 12

राजेन्द्र कुमार गुप्ता

बनाम

घासा 143 जैलगांगा एवं बांधारा एक

सरकार

पात्र गौसागंज सराय

परा ४ तह ३० फरीदपुर जिला बरेली ।

न्याय निर्णय आदेश दिनोंका १४-३-१२

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता गैमोरियल ट्रस्ट १९ एम०आई०जी० आवास विकास कालीनी सिविल लाइन बरेली में प्रत्येक घर ११८ से १४२ फॅसली प्राम गौसागंज सराय एवं शापथ पत्र सलगन करते हुये धारा १४३ जैलगांगा एवं बांधारा एक के अन्तर्गत प्राम गौसागंज सराय स्थित भूमि लाता संख्या ८३ गाता संख्या ३७१ रकवा ०.६५७ हेक्टर १५.१२ पैक्ट भूमि को शैक्षणिक उत्थान के प्रयोग हेतु अकृषिक घोषित कराने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फरीदपुर से जींच कर आल्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार फरीदपुर ने आपनी जींच आख्या दिनोंका १३.०१.२०१२ के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि वो अकृषिक घोषित किये जाने की सरतुती की है।

गैर द्वारा पत्रावली पैर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्षों एवं तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनोंका १३.०१.२०१२ का भली भांति अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि आपनी रिक्त भूमि लाता गौसागंज सराय परा ४ तह ३० फरीदपुर जिला बरेली गौसागंज सराय ८३ संख्या ३७१ रकवा ०.६५७ हेक्टर १५.१२ पैक्ट भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना अनुमोदित होता है।

आदेश

अत आदेश किया जाता है कि तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनोंका १३.०१.२०१२ के अधार पर आपनी रिक्त भूमि गौसागंज सराय परा ४ तह ३० फरीदपुर जिला बरेली के खाता संख्या ८३ गाता संख्या ३७१ रकवा ०.६५७ हेक्टर १५.१२ पैक्ट भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है। जायिलाएँ भूमि लाता अविनियम की धारा १४३ तदविषयक नियमावली के नियम १३ के अन्तर्गत आदेश किया जाता है कि आदेश की दो प्रतियां एवं निवाचक फरीदपुर को इस आशय से ऐंगी जायें कि प्रश्नगत भूमि को निश्चिक अकृषक पंजीकरण कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें तदोपरान्त खत्तीनी में प्रविर्द्धि हेतु पत्रावली तहसीलदार फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कर्तव्यान्वयी पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनोंका १३.०३.२०१२

इस्तराक्कुमार
(राजेन्द्र कुमार)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर

अमृद रामा
१०८
१३-३-१२
४९
मंगलवार २१० १४।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : फरीदपुर
 वाद संख्या : -03289/2018
 कंप्यटरीकृत वाद संख्या : -T201812130303289
 राजेन्द्र केमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा:- ४०, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय निर्णय घोषित करने की तिथि १४/११/१८

इस वाद की कार्यवाही श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अकित किया है कि आराजी खाता सं० ३८ गाटा संख्या ३७२ रकवा ०.३९३हें० स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर ज़िला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादी द्वारा शिक्षण संवर्धन हेतु अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त लक्ष्य स्थाप्त शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। यादग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरांकत की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 19.11.2018 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अकित है कि ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं० ३८ गाटा संख्या ३७२ रकवा ०.३९३हें० पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम गौसगंज सराय के खाता सं० ३८ गाटा सराय ३७२ रकवा ०.३९३हें० उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा ४०(१) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क जो (ज़िलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित रुप्तक 31,050/- जो संलग्न पत्रावली धालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में दिनांक 27.11.2018 को जमा किया जा चुका है। तहसीलदार फरीदपुर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार फरीदपुर की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी 19 एमआईजी आवास विकास सिविल लाइन्स बरेली अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2018 एवं



आदेश पत्रक



न्यायालय : उपजिलाधिकारी
 मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : फरीदपुर
 वाद संख्या : 03289/2018
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T201812130303289
 राजेन्द्र केमारी गज्जा मेमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा :- ४०, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

तहसीलदार फरीदपुर की जाच आख्या दिनांक 19.11.2018 स्वीकार की जाती है मूमि रिथ्त ग्राम गौसगंज सराय के खाला सं ३० गाटा संख्या ३७२ रक्या ०.३९३ हेए० अकृदक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिवन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को अकृषिक पूछे पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- तव्रत्व 28, 2018.

Ch S/P/b
 श्री(राकेश सिंह)
 उपजिलाधिकारी 28.11.18
 फरीदपुर

प्राप्ति	प्राप्ति
२१५ (१)	28-11-18
०१-१२-१८	
१६३	
लगाऊग ३८०	७१-



पृष्ठ संख्या :

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली) ।

वाद सं० टी 20141213032824

धारा-143य०पी०जैड०ए०एल०आर०एक्ट
ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील
फरीदपुर जिला बरेली ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार

नक्त निर्णय आदेश निम्नक २४.८/५

श्री मुकेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट 19 एम०आई०जी० आवास विकास कालौनी बरेली ने दिनांक 21-03-2014 को प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड०ए०एल०आर०एक्ट एवं उसके साथ संलग्न उद्धरण खतौनी 1416 फ० से 1421 फ० ग्राम गौसगंज सराय खाता सं०-94 गाटा सं०-373 रकवा 0.082 है० लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना गाटा सं०-373 रकवा 0.082 है० लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जनपद बाज़ी का काबिज मालिक व दखील है। वादग्रस्त व आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी। तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25-08-2014 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के ग्राम गौसगंज सराय खाता सं०-94 गाटा सं०-373 रकवा 0.082 है० लगान 1.26 पैसा स्थित ग्राम गौसगंज सराय भूमि का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल में आकृषिक औद्योगिक/आबादी हो गयी है को, धारा-143 ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आदेश

अतः तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 25-08-2014 के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं०-94 गाटा सं०-373 रकवा 0.082 है० भूमि के क्षेत्रफल का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कुट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज०वि०अधि० की धारा-143 तदविषयक नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप नियंत्रक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरांत एक प्रति न्यायालय को वापस करें। तदोपरांत खतौनी में प्रविष्ट हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 28-08-2014

हस्ताक्षर नं० ४५४४
(उमेश कुमार मंगला)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं ०७

/ 2008-09

धारा-143 जैड०ए०एल०आर०ए०ए०
ग्राम : गौसगंज सराय परगना व
तहसील फरीदपुर जिला बरेली।

राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट बनाम सरकार
अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता

प्रकल्प निर्णय आदेश नियंत्रण वि. ३१-०९

प्रस्तुत वाद श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मैमोरियल ट्रस्ट, १९ एम०आई०जी०१० आवास विकास कालीनी सिविल लाईन्स बरेली द्वारा द्रस्टी अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी, १९ एम०आई०जी० आवास विकास कालीनी, बरेली ने दिनांक ०८.१२.२००८ को एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड०ए०एल०आर०ए०ए० एवं उसके साथ संलग्न सन फ०-१४१०-१४१५ फ० ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर के गाटा सं० ३७५ रकवा ०.५२४० है, गाटा सं० ३७६ रकवा ०.५२६०, गाटा सं० ३८१ रकवा ०.६८६०, गाटा सं० ३८२ रकवा ०.३३९ है०, गाटा सं० ३८३ रकवा ०.३२०० है०, गाटा सं० ३८४ रकवा ०.६८६०, गाटा सं० ३८७ रकवा ०.५७२० है०, गाटा सं० ३८८ रकवा ०.५७२० है०, गाटा सं० ३८९ ०.१९०० है०, गाटा सं० ३९० रकवा ०.१९०० है०, गाटा संख्या ३९१ रकवा ०.१९१० है०, गाटा सं० ३९२ रकवा ०.११४० है०, गौटों सं० ३९३ रकवा ०.४५७० है०, गाटा सं० ३९४ रकवा ०.४५८० है० कुल १४ किता लगान १४४-४० पैसा की प्रति प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि उक्त भूमि शिक्षण संस्थान निर्माण प्रयोग आवादी हेतु लाई जा रही है अतः कृषि भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर आकृषिक भूमि घोषित कराना चाहते हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से कराई गई, तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक १९.०१.२००९ द्वारा यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के गाटा सं० ३७५ रकवा ०.५२४० है, गाटा सं० ३७६ रकवा ०.५२६०, गाटा सं० ३८१ रकवा ०.६८६०, गाटा सं० ३८२ रकवा ०.३३९ है०, गाटा सं० ३८३ रकवा ०.३२०० है०, गाटा सं० ३८४ रकवा ०.६८६०, गाटा सं० ३८७ रकवा ०.५७२० है०, गाटा सं० ३८८ रकवा ०.५७२० है०, गाटा सं० ३८९ ०.१९०० है०, गाटा सं० ३९० रकवा ०.१९०० है०, गाटा संख्या ३९१ रकवा ०.१९१० है०, गाटा सं० ३९२ रकवा ०.११४० है०, गाटा सं० ३९३ रकवा ०.४५७० है०, नाटा सं० ३९४ रकवा ०.४५८० है० कुल १४ किता लगान १४४-४० पैसा का उपयोग कृषि कार्य गतिशीली व पशुपालन मत्त्य संवर्धन कुकुट पालन भी आता है नहीं किया जा सकता है। उक्त क्षेत्रफल आकृषिक आवादी ही गई है, क्योंकि भौके पर शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य हो रहा है, चारों ओर पक्की बाउन्ड्री हो गई है जो धारा १४३ ज०पी० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम १३५ के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

For Smt. Rajendra Singh
President

President

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी कृषि उधानकरण मत्स्य पालन, कुफकुट पालन से असंबद्ध प्रयोजन के लिये प्रयोग हो रही है। इसलिए तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 19.01.2009 के आधार पर प्रश्नगत आराजी को आकृषिक भूमि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त के आधार पर ग्राम गौसगंज सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली स्थित आराजी गाटा सं० 375 रकवा 0.5240 है, गाटा सं० 376 रकवा 0.5260, गाटा सं० 381 रकवा 0.6860, गाटा सं० 382 रकवा 0.339 है०, गाटा सं० 383 रकवा 0.3200 है०, गाटा सं० 384 रकवा 0.6860, गाटा सं० 387 रकवा 0.5720 है०, गाटा सं० 388 रकवा 0.5720 है०, गाटा सं० 389 0.1900 है०, गाटा सं० 390 रकवा 0.1900 है०, गाटा संख्या 391 रकवा 0.1910 है०, गाटा सं० 392 रकवा 0.1140 है०, गाटा सं० 393 रकवा 0.4570 है०, गाटा सं० 394 रकवा 0.4580 है० कुल 14 किता लगान 144-40 पैसा द्वेत्रफल को आकृषिक घोषित किया जाता है। ज०यि०अधि० की धारा 143 तादविषयक नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि आदेश की दो प्रति उप निवधक फरीदपुर को इस आपद्य से मेंजी जाएं कि न० ब्रह्मगंगा आराजी को निखुल्क आकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यासाप्रद्य को कराये तो उपरान्त जाती हैं परिणाम हेतु पत्रावली तहसीलदार फरीदपुर को मेंजी जाये। वाद आवश्यक व्यारोधी पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

दिनांक : ११-०१-२००९



कृत्तिका व्रष्टपत्र
(मुनीष कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, फरीदपुर।



न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बोली) ।

वाद सं0 दी 20141213032823

धारा-143 गौमांजी के खिलाफ अप्रैल 2014
गाम गौमांजी राशन 11-08-2014
फरीदपुर जिला बोली ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मौखियल 142 बाग 547000

उचित नियम आदेश फरीदपुर सं0-७/१

श्री मुकेश कुमार गुप्ता अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता फरीदपुर सं0-७/१ एम०आई०ली० आवास विकास कालीनी बरेली ने दिनांक 01-02-2014 को प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-143 जैड००४०८००आ००४०१ इट उसके संलग्न उद्दरण खत्तौनी 1416 फ० से 1421 फ० ग्राम गौमांजी सराय छाता सं0-29 गाटा सं0-377 रकवा 1.168 है० लगान 29.06 पैसा स्थित ग्राम गौमांजी सराय वादप्रस्त आराजी को वादी शिक्षण कार्य के रूप में उपयोग करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा वादप्रस्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, फरीदपुर से करायी गयी। तहसीलदार, फरीदपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25-08-2014 में यह उल्लेख किया है कि ग्राम गौमांजी सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के ग्राम गौमांजी सराय खाता सं0-29 गाटा सं0-377 रकवा 1.168 है० लगान 29.06 पैसा स्थित ग्राम गौमांजी सराय भूमि का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल में आकृषिक औद्योगिक / आबादी हो गयी है को, धारा-143 ज०१० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किये जाने की सख्ति की है।

आदेश

अतः तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 25-08-2014 के आधार पर ग्राम गौमांजी सराय परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली के खाता सं0-29 गाटा सं0-377 रकवा 1.168 है० भूमि के क्षेत्रफल का उपयोग कृषि कार्य बागवानी व पशुपालन मत्स्य संवर्धन कुक्कट पालन भी आता है नहीं किया जा रहा है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। ज०१०अधि० की धारा-143 तदविषयक नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते हैं कि यह प्रश्नगत आराजी को नियुक्त अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरात एक प्रति न्यायालय को वापस करें। तदोपरात खत्तौनी में प्रविष्ट होर, आदेश की प्रति तहसीलदार, फरीदपुर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यालयी पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 28-08-2014

हस्ताक्षर

(उमेश कुमार मंगला)
उप जिलाधिकारी,
फरीदपुर।